संख्या– ——/V–2/26(आ0)18/2018

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 02 मई, 2018

विषय– हरिद्वार स्थित होटल अलकनन्दा एवं उसके परिसर की भूमि का भू–उपयोग कुम्भ मेला क्षेत्र से व्यवसायिक किये की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–196/नो0/हरि0/28/2001–02 का पत्र दिनांक 19 अप्रैल, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद हरिद्वार में स्थित होटल अलकनन्दा एवं उसकी परिसर की भूमि को जो कि हरिद्वार महायोजना–2025 में विशेष क्षेत्र वर्गीकृत "कुम्भ मेला क्षेत्र" अंतर्गत अवस्थित है, जिसका कुल रकबा 1,19,000 वर्ग फीट आंकलित किया गया है, को पूर्व से ही व्यवसायिक (पर्यटन) के उपयोग में लाया जा रहा है। तद्विषयक मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित Original Suit N0. 01 of 2004 के साथ सम्बद्ध रिट पिटीशन संख्या (सिविल) 47/2004 में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 15.01.2018 के अनुपालन तथा हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड की संस्तुति के क्रम में उक्त भूमि (1,19,000 वर्गफीट) का भू–उपयोग कुम्भ मेला क्षेत्र से निःशुल्क व्यवसायिक किये जाने का निर्णय निम्न प्रतिबन्ध के अधीन लिया गया है:–

(1) स्थल पर निर्माण कार्य हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण की स्वीकृति एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (संशोधित 2015) में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।

(2) भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद होने पर महायोजना में भू–उपयोग संशोधन की कार्यवाही स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

3– अतः उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–38क में उल्लिखित प्राविधानों के तहत कार्यवाही करते हुए तत्सम्बन्धी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)
सचिव

संख्या–705/V–2/26(आ0)18/2018–तद्दिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3– मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, हरिद्वार।
4– विशेष सचिव पर्यटन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5–गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव